न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 102/2022

1. मुकेश पुत्र फूलचन्द, जाति जाट, निवासी पापड़ा खुर्द, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
2. विकास पुत्र फूलचन्द, जाति जाट, निवासी पापड़ा खुर्द, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
3. सुनिल पुत्र रामनिवास, जाति जाट, निवासी पापड़ा खुर्द, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
4. विजेन्द्र पुत्र रामनिवास, जाति जाट, निवासी पापड़ा खुर्द, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
5. महीपाल सिंह पुत्र गोविन्दा, जाति जाट, निवासी पापड़ा खुर्द, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
6. लक्ष्मण सिंह पुत्र गोविन्दा, जाति जाट, निवासी पापड़ा खुर्द, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

–अपीलांटस

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, तहसील उदयपरवाटी, जिला झुंझुनू ।

–रेस्पोडेंटस

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम मुकेश वगैरह अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 54/2022 निर्णय दिनांक 18.07.2022

उपस्थितिः–

1 .श्री विजयपाल, एडवोकेट ––––––––––––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक –––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 31.03.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.07.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मुकेश वगैरह, मु0 नं0 54/2022 अं0 धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

कि – अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलांटस को जमीन हाल खसरा संख्या 306 रकबा 0.65 है. गै. मुमकिन नाला सरहद मौजा पापड़ा खुर्द में से 0.10 है, पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश दिनांक 18.7.2022 पारित किया है जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि– अपीलांटस के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। निर्णय दिनांक 18.7.2022 स्पीकिंग नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई–चौड़ाई दर्ज नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण कितने वर्ष पुराना है, यह भी दर्ज नहीं है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट साबित नहीं है। पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत में उपस्थित नहीं हुआ है। अदालत मातहत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णय पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। विवादित जमीन वास्तविक रूप से नाले की नही है और ना कभी तथाकथित अतिक्रमण स्थल पर नाला बहाव क्षेत्र रहा है। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक भौतिक स्थिति कभी नहीं रही। गत नक्शासीट के मुताबिक हाल नक्शासीट भू–प्रबंध विभाग ने नहीं बनाया है। राजस्व रिकार्ड व नक्शासीट में गलत तरमीम के आधार पर पटवारी हल्का ने मनमर्जी से नाप दिखाकर अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है। तथाकथित अतिक्रमण स्थल पर कब्जा पुराना है। मौके पर सीमेन्टेड सड़क बनी हुई है जो राज्य सरकार ने बनायी है। मौके पर गै.मु. नाला अथवा बहाव क्षेत्र होता तो राज्य सरकार द्वारा पुख्ता सड़क का निर्माण नहीं करवाया जाता। इससे भी साबित है कि गलत रिकार्ड के आधार पर कार्यवाही की गई है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस में समस्त पक्षकारान के नाम पते दर्ज नहीं किये है। राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल 1956 भाग द्वितीय के मुताबिक तमाम पक्षकारों के नाम पते दर्ज होना आवश्यक है। अदालत मातहत व पटवारी द्वारा जनबूझकर अपीलांटस के विरूद्ध कार्यवाही की है। अपीलांटस के समानान्तर काबिज काफी व्यक्तियों को नोटिस नहीं दिये गये हैं। इससे भी साबित है कि राजनैतिक दबाव से पक्षपात किया गया है।

अंत में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.7.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुय कथन किया कि –अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलांटस को जमीन हाल खसरा संख्या 306 रकबा 0.65 है. गै. मुमकिन नाला सरहद मौजा पापड़ा खुर्द में से 0.10 हैक्टर, पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश दिनांक 18.7.2022 पारित किया है, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि– अपीलांटस के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। निर्णय दिनांक 18.7.2022 स्पीकिंग नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई–चौड़ाई दर्ज नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण कितने वर्ष पुराना है, यह भी दर्ज नहीं है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट साबित नहीं है। पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत में उपस्थित नहीं हुआ है। अदालत मातहत ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये निर्णय पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। विवादित जमीन वास्तविक रूप से नाले की नही है और ना कभी तथाकथित अतिक्रमण स्थल पर नाला बहाव क्षेत्र रहा है। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक भौतिक स्थिति कभी नहीं रही। गत नक्शासीट के मुताबिक हाल नक्शासीट भू–प्रबंध विभाग ने नहीं बनाया है। राजस्व रिकार्ड व नक्शासीट में गलत तरमीम के आधार पर पटवारी हल्का ने मनमर्जी से नाप दिखाकर अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है। तथाकथित अतिक्रमण स्थल पर कब्जा पुराना है। मौके पर सीमेन्टेड सड़क बनी हुई है जो राज्य सरकार ने बनायी है। मौके पर गै.मु. नाला अथवा बहाव क्षेत्र होता तो राज्य सरकार द्वारा पुख्ता सड़क का निर्माण नहीं करवाया जाता। इससे भी साबित है कि गलत रिकार्ड के आधार पर कार्यवाही की गई है। अपीलांट के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की है। अपीलांटस की तामिल प्रर्याप्त नहीं है। अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया।अपीलांटस के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही गलत रूप से की गई है। अपीलांटस का पटवारी हल्का ने संयुक्त रूप से गैर मु0 नाला की भूमि पर कब्जा होना कथित किया है और अदालत मातहत ने नोटिस गैर मु0 रास्ते [illegible] है। इस प्रकार विधिक प्रकिया को नजरअंदाज किया है। अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब को डिस्कस नहीं किया है। अपीलांट ने अपने जवाबमें सारवान बिन्दु उठाया था। कानून से जहां कोई सारवान

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

बिन्दु अन्तरवर्लित हो वहां संक्षिप्त प्रकिया के मार्फत बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती। पटवारी हल्कमा ने अपीलांटस के विरूद्ध संयुक्त कब्जे की रिपोर्ट की है। जबकि अदालत मातहतने बदखली केवल अपीलांट ताराचंद के विरूद्ध की है, जिसका काई आधार दर्ज नहीं है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस में समस्त पक्षकारान के नाम पते दर्ज नहीं किये है। राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल 1956 भाग द्वितीय के मुताबिक तमाम पक्षकारों के नाम पते दर्ज होना आवश्यक है। अदालत मातहत व पटवारी द्वारा जनबूझकर अपीलांटस के विरूद्ध कार्यवाही की है। अपीलांटस के समानान्तर काबिज काफी व्यक्तियों को नाटिस नहीं दिये गये हैं। इससे भी साबित है कि राजनैतिक दबाव से पक्षपात किया गया है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.7.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी पापड़ा कलां की रिपोर्ट के अनुसार भूमि खसरा नंबर 306 कुल रकबा 0.65 हैक्टर किस्म गैर मु0 नाला में से 0.10 हैक्टर पर अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से डोल व तारबंदी कर अतिक्रमण किया जाना बतया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपीलांट को विधिक प्रकिया के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट्स बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहे हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे विवादित भूमि पर उनके द्वारा कब्जा वैध साबित होता हो। विवादित भूमि गै. मु. नाले की भूमि है जो राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी की होने से नियमन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2022 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2022 उनवानी सरकार बनाम मुकेश मु0नं0 54/2022 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:43 IST
Reason: SelfAttested